कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक/निस्तार/173 भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2008

प्रति,

समस्त वन संरक्षक

मध्यप्रदेश

विषय :– **उपभोक्ताओं को बाजार दर पर खुदरा बिक्री के जरिये इमारती काष्ठ उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।**

संदर्भ :– राष्ट्रीयकृत वनोपज अन्तर्विभगीय समिति म.प्र. का पत्र क्रमांक समिति/347/3149 दिनांक 5–1–08.

––0––

राष्ट्रीयकृत वनोपज अन्तर्विभागीय समिति की 346 वीं बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों (लघु उपभोक्ताओं को मकान बनाने के लिये बढ़ई एवं अन्य कारीगर) के लिये इमारती काष्ठ की उपलब्धता ऐसे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जहॉं वनों में पर्याप्त इमारती लकड़ी का उत्पादन हो रहा है, कम से कम एक डिपो स्थापित कर वहॉं से निर्धारित मूल्य पर की जाए।"

इस संबंध में संलग्न राष्ट्रीयकृत वनोपज अन्तर्विभागीय समिति के निर्णय क्रमांक/समिति/347/ 3149 भोपाल दिनांक 5--1–08 का भलिभांति अध्ययन कर तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

समस्त वन संरक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि उनके कार्यक्षेत्र में आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में संलग्न सूची में दर्शाये 48 डिपो में अलग सेक्टर बनाकर उक्त कार्यवाही इस वर्ष तत्काल प्रारम्भ की जावे शेष स्थानों पर डिपो प्रारम्भ करने की कार्यवाही आगामी वर्षो में की जावेगी। इस संबंध में हुई प्रगति से इस कार्यालय को प्रतिमाह अवगत कराया जाए। राष्ट्रीयकृत वनोपज अन्तर्विभगीय समिति के संदर्भित पत्र दिनांक 5–1–08 के संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही की जाने के संबंध में विस्तृत कार्यपालिक निर्देश इस प्रकार हैं:–

(1) प्रदाय की दर

खुदरा बिक्री के जरिये हितग्राहियों को जो इमारती काष्ठ उपलब्ध कराई जायेगी उसकी दरें वर्तमान में संबंधित प्रजाति एवं वर्ग के लिये निर्धारित अवरोध मूल्य में पिछले 6 माह के लिये निर्धारित किये गये अवरोध मूल्य के ऊपर जितना प्रतिशत अधिक विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ है को जोड़कर दर निर्धारित की जायेगी।

उदाहरणस्वरूप – यदि किसी वृत्त के लिये सागौन III A गोलाई वर्ग 76–90, लंबाई 2–3 मीटर हेतु 1–4–07 से 30–9–07 तक के लिये अवरोध मूल्य रूपये 28,000/– प्रति घ.मी. तय किया गया था। इसी वर्ग की काष्ठ का उक्त अवधि में औसत विक्रय मूल्य रूपये 29,566/–

–2–

प्रति घ.मी. प्राप्त हुआ जो अवरोध मूल्य का 5.4 प्रतिशत अधिक है। यदि उक्त गोलाई एवं लंबाई वर्ग की काष्ठ का अवरोध मूल्य अक्टूबर 2007 से मार्च 2008 तक के लिये 29,500/– निर्धारित किया जाता है तो डिपो से उपभोक्ता को मार्च 2008 तक प्रदाय की जाने वाली काष्ठ का मूल्य 29,500 + 5.4 प्रतिशत अर्थात रूपये 30,039/– प्रति घ.मी. होगा। दरों का निर्धारण वन संरक्षक द्वारा किया जायेगा। किसी भी स्थिति में उपभोक्ताओं को प्रदाय की जाने वाली किसी भी प्रजाति की काष्ठ की दर निर्धारित अवरोध मूल्य से कम नहीं होगी। अर्थात यदि सतकठा काष्ठ का औसत विक्रय मूल्य अवरोध मूल्य से कम भी प्राप्त होता है तो वह खुदरा बिक्री में अवरोध मूल्य से कम पर नहीं बेची जावेगी।

(2) परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी करने की प्रक्रिया

संबंधित उपभोक्ता को उपभोक्ताओं के निवास स्थान अथवा नजदीकी आरा मशीन तक के गन्तव्य के लिये परिवहन अनुज्ञा पत्र डिपो अधिकारी (उत्पादन) द्वारा जारी किये जायेंगें। जिसकी एक अतिरिक्त प्रति (फोटोप्रति) संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी एवं उप वन मंडलाधिकारी (सामान्य) को दी जायेगी जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्राप्त की गई काष्ठ का उपयोग संबंधित उपभोक्ता ही कर रहा है और इस व्यवस्था का दुरूपयोग नहीं हो रहा है।

(3) डिपो में रखी जाने वाली काष्ठ के संबंध में

विक्रय हेतु प्रस्तावित वनोपज वर्तमान डिपो में एक अलग सेक्टर में रखी जावेगी, जिसकी निकासी व निगरानी व्यवस्था अलग से होगी। यदि आवश्यक हुआ तो निस्तार डिपो में भी यह व्यवस्था विकसित की जा सकती है।

उक्त व्यवस्था के तहत डिपो में जो काष्ठ प्रजातिवार, गोलाई एवं लंबाई वर्ग की रखी जा रही है, की सूची डिपो तथा वन मंडलों (उत्पादन एवं सामान्य) के नोटिस बोर्ड पर लगाई जायेगी तथा इसकी एक प्रति परिक्षेत्र अधिकारी सामान्य एवं उप वन मंडलाधिकारी (सामान्य) को दी जायेगी जिससे संबंधित क्षेत्र में इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो सके और उपभोक्ताओं को उक्त सुविधा का लाभ मिल सके।

एक बार पुनः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि यह व्यवस्था माननीय मुख्य मंत्रीजी की घोषणा से संबंधित मुद्दा है जिस पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही तत्काल अमल में लाई जाना है। इस संबंध में यदि कोई संदेह हो तो तत्काल अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) से चर्चा कर मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए।

संलग्न :– अन्तर्विभागीय समिति के निर्णय की प्रति।

सही/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश भोपाल